न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू	तारीख फैसला
127/2020	13.10.2020	3-10-2025

1. किस्तूरा पुत्र मूल्या,
2. कड़ी पत्नी रामधन,
3. रामधन पुत्र गोपी,
4. बरफी पत्नी मोहन,
5. मोहन पुत्र गोपी,

सभी जाति बैरवा, निवासी जीवद, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

1. हरनारायण पुत्र मंगल्या,
2. छाजू पुत्र हरनारायण,
3. अनीता पत्नी छाजू

सभी जाति नाथ (जोगी), निवासी जीवद, तहसील बरनाला, बरनाला,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:

इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम जीवद स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 3073/2971 रकवा 1.75 हैक्टेयर वादी संख्या 1, खसरा नम्बर 2956 रकवा 0.66 हैक्टेयर वादी संख्या 2 व 3 तथा खसरा नम्बर 3261/2971 रकबा 1.15 हैक्टेयर वादी संख्या 4 व 5 की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी आती है जिसको वादीगण ही काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजियात में होने वाली फसलों से लाभान्वित होते चले आ रहे

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हैं । उक्त वर्णित आराजियात् से वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण या किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध, ताल्लुक या वास्ता नहीं है । वादीगण गरीब व अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादीगण सामान्य वर्ग के लट्ठबाज व्यक्ति हैं जो कि वादीगण को हीन भावना से देखते हैं । पूर्व में प्रतिवादीगण वादीगण के साथ मारपीट कर चुके हैं जिस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध वादीगण द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जा चुके हैं जिसके कारण प्रतिवादीगण वादीगण से और अधिक नाराज हैं तथा येन केन प्रकारेण वे वादीगण को आये दिन हैरान व परेशान करते रहते हैं, जिसके चलते वे वादीगण को उनकी उक्त वर्णित आराजियात् के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में व्यवधान उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद कर जमीन को जबरन लट्ठ के बल पर हड़पने को आमादा रहते हैं । दिनांक 2.10.2020 को वादीगण अपने खेतों में जोत निकलवा रहे थे कि तभी सभी प्रतिवादीगण वादीगण की आराजियात् पर आ गये और गाली गलौंच करते हुए झगड़ा फिसाद करने पर आमादा हो गये, एलानिया धमकी देने लगे कि वे किसी भी सूरत में वादीगण को उनकी आराजियात् को काश्त नहीं करने देंगें तथा उनको यहां से बेदखल करके छोड़ेंगें । वादीगण ने अपनी गरीबी की दुहाई देते हुए प्रतिवादीगण को अनुरोध किया, वे गरीब व्यक्ति हैं, खेतीबाड़ी ही उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है, यदि वे लोग (प्रतिवादीगण) इस प्रकार परेशान करेंगें तो वे (वादीगण) किस प्रकार जी पायेंगें । वादीगण की इन बातों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण अत्यधिक नाराज हो गये तथा कहने लगे, ''हम भी यही चाहते हैं कि तुम मर जाओ या यह गांव छोड़कर चले जाओ, जिससे हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लेंगें । यदि राजीखुशी यहां से नहीं गये तो हमारे लट्ठ की ताकत कम नहीं हुई है, लट्ठ के जोर से तुम्हें यहां से निकालकर रहेंगें ।'' वादीगण के अनुसार प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वे वादीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करें । प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेंगें, जब तक कि उनको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद नहीं फरमा दिया जावेगा। इस आधार पर वादीगण ने अपने वाद पत्र को प्रतिवादीगण के विरुद्ध डिक्री किए जाने का अनुरोध किया है ।

प्रतिवादीगण को उक्त आशय के दावे के सम्मन प्रेषित किए गए लेकिन बावजूद तामील उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश किया गया, इसलिए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व वादीगण को अपनी ओर से एकपक्षीय साक्ष्य करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादीगण ने अपनी ओर से पी.ड. 1 व पी.ड. 2 परीक्षित कराकर साक्ष्य समाप्त की । प्रलेखीय साक्ष्य में 6 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

बहस एक पक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से व प्रदर्श 1 लगायत 3 को देखने से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात् के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं । इसी के साथ प्रदर्श पी. 5 व प्रदर्श पी. 6 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में है और उन्हीं के कब्जे काश्त में है । प्रतिवादीगण द्वारा अपनी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है और न ही अपनी ओर से किसी की उपस्थिति दी गई है तथा पत्रावली पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र व दस्तावेजात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई खण्डन भी मौजूद नहीं है, वादीगण वादग्रस्त आराजियात् के खातेदार हैं तथा खातेदारों के अधिकारों की सुरक्षा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, ऐसे में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है और इस आधार पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को आदेश स्थाई [illegible] पाबंद किया जाता है कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर [illegible]/2971 रकवा 1.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2956 रकवा [illegible]66 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3261/2971 रकवा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम जीवद,

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वामनवास

Scanned with CamScanner

तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग, प्रयोग, फसल बोने, काटने आदि कृषि कार्यों के संपादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से में वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी से करवायें, वादीगण की आराजिात् की डौल–मेड आदि को किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं करें । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 3-10-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

(प्रियंका कडेला)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

1. किस्तूरा पुत्र मूल्या, 2. कड़ी पत्नी रामधन, 3. रामधन पुत्र गोपी, 4. बरफी पत्नी मोहन, 5. मोहन पुत्र गोपी,	सभी जाति बैरवा, निवासी जीवद, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर

वादीगण

बनाम

1. हरनारायण पुत्र मंगल्या, 2. छाजू पुत्र हरनारायण, 3. अनीता पत्नी छाजू	सभी जाति नाथ (जोगी), निवासी जीवद, तहसील बरनाला,

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 127/2020

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आज दिनांक 3-10-25 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादीगण [illegible] त्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाता है कि वे आराजी हाल खसरा नम्बर 3073/[illegible]/1 रकवा 1.75 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2956 रकवा 0.66 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

3261/2971 रकवा 1.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम जीवद, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग, प्रयोग, फसल बोने, काटने आदि कृषि कार्यों के संपादन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से में वादीगण को किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी से करवायें, वादीगण की आराजिात् की डौल–मेड आदि को किसी भी प्रकार क्षतिग्रस्त नहीं करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 3-10-25 को जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:11:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner